भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 305

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

एक देश एक राशन कार्ड योजना

305. श्री के.सी.वेणुगोपाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "एक देश एक राशन कार्ड योजना" के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा नागरिकों को किस प्रकार से लाभ पहुँचाने की योजना है;

(ख) क्या सरकार ने केरल जैसे राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से राशन की दुकानों तक माल की सीधी आपूर्ति करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस परिवर्तन से होने वाले अपेक्षित लाभ क्या हैं;

(घ) यदि यह सीधा आपूर्ति तंत्र कार्यान्वित होता है तो आपूर्ति श्रृंखला में वर्तमान में नियोजित लोगों के लिए रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एफसीआई गोदामों से राशन की दुकानों तक सीधा आपूर्ति तंत्र की प्रभावशीलता की निगरानी तथा मूल्यांकन किए जाने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्राथमिक उद्देश्य: इस पहल के तहत, एनएफएसए लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणन के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड/आधार कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्र खाद्यान्न का उठान करने के लिए सशक्त बनाया है। ओएनओआरसी योजना ऐसे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों को उसी राशन कार्ड पर उनके घर पर (गांव/गृह नगर में) आंशिक/शेष खाद्यान्न का उठान करने के लिए समर्थ बनाती हैं। अब राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी अथवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

....2/-

(ख) और (ग): लाभार्थियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, अधिशेष खरीद वाले विकेन्द्रीकृत राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्टॉक बनाए रखते हैं और आगे वितरण के लिए पीडीएस दुकानों को आपूर्ति करते हैं। कमी वाले राज्यों में, राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों को प्राप्त करती है और मासिक आबंटनों के आधार पर आगे वितरण करने के लिए उन्हें पीडीएस दुकानों तक पहुंचाती है।

केरल, एक डीसीपी राज्य होने के कारण, सरकार धान की खरीद करती है और परिणामस्वरूप एनएफएसए के तहत वितरण के लिए उनके द्वारा सीएमआर बनाए रखा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केरल सरकार द्वारा चावल और गेहूं की कमी भारतीय खाद्य निगम से पूर्ण की जाती है।

(घ) से (च): केरल एक डीसीपी राज्य होने के परिणामस्वरूप प्रश्न नहीं उठता।

******